श्री ए. के. मंगोत्रा, अपर सचिव (ए.एस.), वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा उद्योग भवन, नई दिल्ली के कमरा नंबर 141 में 15.4.2010 को दोपहर 12 बजे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) संबंधी उच्चाधिकारप्राप्त समिति (ईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

एनईआर के लिए ईसी, ईडीएफ संबंधी बैठक श्री ए. के. मंगोत्रा, एएस, डीओसी की अध्यक्षता में 15.4.2010 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक 1** पर प्रस्तुत है।

2. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग तथा एनईआर के लिए ईडीएफ स्कीम संबंधी ईसी के अध्यक्ष ने इस स्कीम के अधीन गुणवत्तात्मक तथा मात्रात्मक--दोनों आयामों में निष्पादन में सुधार लाए जाने की जरूरत पर बल दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों जैसेकि पूर्वोत्तर कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्शी संगठन (एनईआईटीसीओ) तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को शामिल करके प्रत्येक योजना के लिए मानीटरन तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए। प्रस्तावों की प्रस्तुति, छानबीन के लिए प्रपत्र, प्रौद्योगिकीय आर्थिक मूल्यांकन की जरूरत और सीमा, अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों की भूमिका जैसी क्रियाविधियों का सरलीकरण किए जाने की जरूरत है। यह देखा गया है कि एनईआर के लिए ईडीएफ के अधीन 2000-01 में इसकी स्थापना से लेकर अभी तक 100 से कम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

3. चर्चा के लिए सबसे पहले नीतिगत मुद्दे लिए गए। विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिए गएः

3.1 **आवेदन-पत्र की प्रस्तुति**

3.1.1 प्रार्थी इसके बाद एक प्रस्ताव चार प्रतियों में (मौजूदा 12 प्रतियों की बजाय) या तो कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (निम्न कार्यालय) अथवा राज्य सरकार को भेज सकता है। यदि कोई आवेदन-पत्र वाणिज्य विभाग में प्राप्त हो जाता है तो उसे एपीडा को भेजा जा सकता है।

एपीडा मुख्यालय	तीसरा तल, एनसीयूआई बिल्डिंग, (एशियाड विलेज के सामने) 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय	जैन कांप्लेक्स, तीसरा तल, पुराने डाकघर के सामने, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-781005 (असम)

सभी स्त्रोतों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर एपीडा द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

3.1.2 इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार में निर्यात आयुक्त (इस प्रकार पदनामित सरकारी अधिकारी) नोडल अधिकारी होगा। एपीडा में प्राप्त आवेदन-पत्रों के संबंध में वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी परामर्श कर सकते हैं।

3.1.3 राज्य सरकारें प्रत्येक आवेदन-पत्र के संबंध में तीन महीने के भीतर अध्यक्ष, एपीडा को अपनी टिप्पणियां/अभिमत भेजेंगे। यदि तीन महीने के भीतर कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो ऐसा मान लिया

जाएगा कि राज्य सरकार को कोई टिप्पणियां नहीं करनी है और एपीडा द्वारा उस परियोजना की जांच की जाएगी। एपीडा द्वारा आवेदन-पत्र की प्रस्तुति की तारीख के तीन महीने के बाद एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3.1.4 यदि संस्थानगत वित्त (बैंक से सावधि ऋण आदि) का सहारा लिया जाना हो तो ऐसे प्रार्थियों को अपने आवेदन-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजने चाहिए। एपीडा इस तरह के आवेदन-पत्रों पर सीधे ही विचार करेगा और वाणिज्य विभाग को अपनी अंतिम सिफारिशें भेजेगा।

3.2 छानबीन करने का प्रपत्र

ईसी ने यह महसूस किया कि छानबीन करने का मौजूदा बारह सूत्री प्रपत्र अत्यंत जटिल है। जांच करने का एक सरलीकृत प्रपत्र (**अनुलग्नक 2**) परिचालित किया गया। मौजूदा बारह सूत्री जांच प्रपत्र का प्रयोग तत्काल बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकारें और एपीडा नए सरलीकृत प्रपत्र (**अनुलग्नक 2**) के संबंध में 15.5.2010 तक वाणिज्य विभाग को अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। अंतराल वित्तपोषण, पूंजी के मौजूदा मूल्य आदि की अवधारणाओं के संबंध में राज्य सरकारें जांच कर सकती हैं और उनका फीडबैक वाणिज्य विभाग को भेजा जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय उसके बाद ईडीएफ की अगली बैठक में लिया जाएगा।

3.3 संवीक्षा

जिन मामलों में परियोजना प्रार्थी द्वारा स्व-वित्तपोषित हो उनमें एपीडा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आवेदन-पत्र की संवीक्षा करेगा। संस्थानगत वित्तपोषण संपर्क के मामले में संबंधित बैंकिंग संस्थान द्वारा यथाआकलित प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता को पर्याप्त समझा जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपने मूल्यांकन में वित्तीय संस्थान मुक्त और निष्पक्ष रहे हैं।

3.4 विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

एपीडा

3.4.1 ईसी, ईडीएफ, डीओसी के अनुदेशों के अधीन एनईआर के लिए ईडीएफ स्कीम के कार्यान्वयन का समग्र प्रभारी एपीडा होगा। एपीडा प्रस्तावों की जांच करेगा, डीओसी/ईसी ईडीएफ को आवश्यक इन्पुट उपलब्ध कराएगा और निर्णयों को कार्यरूप देगा।

3.4.2 संप्रति, अध्यक्ष, एपीडा ईसी, ईडीएफ का सदस्य नहीं है। क्योंकि एपीडा कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, इसलिए इसके बाद अध्यक्ष, एपीडा ईसी, ईडीएफ की बैठकों में एक स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।

3.4.3 एपीडा ईडीएफ स्कीम में अन्य एजेंसियों/राज्य सरकारों की भूमिका पर एक लेख तैयार करेगा और उसे मंजूरी के लिए वाणिज्य विभाग को भेजेगा।

3.4.4 एपीडा एनईआर के लिए ईडीएफ की शुरूआत से ही उसके पास पड़ी हुई राशि पर अर्जित ब्याज की आय का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

3.5 परियोजनाओं का मार्गदर्शन और मानीटरन

इस योजना का व्यापक प्रचार किए जाने की जरूरत है जिससे कि उद्यमकर्ताओं सहित सभी हितधारकों की और अधिक तथा सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जा सके। व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने में एनईआरएएमएसी, एनईआईटीसीओ तथा एनईडीएफआई जैसे संस्थान प्रस्तावकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्हें मानीटरन में शामिल किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावों के प्रचार, मार्गदर्शन और मानीटरन की लागत ईसी के एक निर्णय के अनुसार हर मामले पर ईडीएफ में से वहन की जाएगी (इस शर्त के अध्यधीन कि परियोजना लागत के अधीन जिसमें एपीडा को देय राशि शामिल होगी ईडीएफ घटक की ऊपरी सीमा 5% होगी)। इसके बाद से ईसी, ईडीएफ प्रत्येक परियोजना की मंजूरी के समय ही मानीटरन एजेंसी विनिर्दिष्ट कर देगी।

3.6 मानीटरन एमआईएस (प्रबंध सूचना प्रणाली) को अंतिम रूप देने के लिए कपार्ट, नाबार्ड तथा नैपकान्स द्वारा मानीटरन के लिए अभी तक जारी किए गए मार्गनिर्देशों का अध्ययन किया जा सकता है। एपीडा आवश्यक प्रपत्र तैयार करेगा और 30.6.2010 तक वाणिज्य विभाग को सूचित कर देगा (साफ्ट कापी के रूप में भी)। इस संबंध में वाणिज्य विभाग द्वारा एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा और ईसी, ईडीएफ की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7 **मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) चार्ट**

सहभागियों के बीच परिचालित एक एसओपी चार्ट **(अनुलग्नक 3)** जिसमें पालन की जाने वाली क्रियाविधियों का विवरण दिया गया था, अनुपालन के लिए मंजूर किया गया। कहना न होगा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित परियोजनाओं को समुचित प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के कारण तरजीह दी जाएगी।

4. इसके बाद नियमित कार्यसूची मदें ली गईं और निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

4.1 **सामान्य मुद्दे**

मधुमक्खी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) द्वारा मूल्यांकन जोकि आज की स्थिति में अनिवार्य है, उसका प्रयोग तत्काल से सभी मधुमक्खी संबंधी प्रस्तावों के लिए बंद कर दिया गया है।

4.2 स्थगित प्रस्ताव (ईडीएफ-एनईआर पर 28.8.2009 को आयोजित पिछली ईसी बैठक)

क्रम संख्या	संदर्भ	परियोजना के विवरण	15.4.2010 का निर्णय
1.	फा. संख्या 27/19/06 - इंफ्रा-II	जोंट्स चैरीटेबल सोसायटी लिमिटेड (जेसीएस), यूपिया, पापुम पारा जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण	ईडीएफ से 78.80 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। यह निधि बैंक द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। एनईआरएएमएसी परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
2.	फा. संख्या 27/22/07 - इंफ्रा-II	ब्लासम्स फ्लोरिस्ट सोसायटी (बीएफएस, नागालैंड) द्वारा एंथूरियम ग्रीन हाउस खेती (उच्च तकनीकी)	एपीडा द्वारा टिप्पणियां भेजे जाने के बाद इस मामले की जांच फाइल में की जाएगी। एनईआरएएमएसी परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
3.	फा. संख्या 27/02/20 - इंफ्रा-II	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण	इस मामले पर फाइल पर और आगे जांच करने के लिए एपीडा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट भेजेगा।
4.	फा. संख्या 27/05/ 2009 - इंफ्रा-II	पेज नालो फार्मर वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा समेकित मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण यूनिट	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा अधिकारी परियोजना स्थल का दौरा करेगा और 15.5.2010 तक अपनी सिफारिश देगा।
5.	फा. संख्या 27/06/ 2009 - इंफ्रा-II	सी-डोनीयी एमपीसीएस लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश द्वारा नागा किंग चिल्ली	मसाला बोर्ड द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को देखते हुए मंजूर नहीं किया गया
6.	फा. संख्या 27/08/ 2009 - इंफ्रा-II	केडीबीज वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा संतरे की खेती प्रसंस्करण यूनिट	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा अधिकारी परियोजना स्थल का दौरा करेगा और 15.5.2010 तक अपनी सिफारिश देगा।
7.	फा. संख्या 27/09/ 2009 - इंफ्रा-II	मोसन वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश - ईडीएफ-एनईआर सहायता द्वारा बैंबू शूट की खेती	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा अधिकारी परियोजना स्थल का दौरा करेगा और 15.5.2010 तक अपनी सिफारिश देगा।

8.	फा. संख्या 27/10/ 2009 - इंफ्रा-II	ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण यूनिट	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा अधिकारी परियोजना स्थल का दौरा करेगा और राज्य सरकार की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक महीने के भीतर सिफारिशें भेजेगा।
9.	फा. संख्या 27/04/ 2009 - इंफ्रा-II	अतुनाकुगा एमपीसीएस लिमिटेड, नागालैंड द्वारा समेकित मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण यूनिट	ईडीएफ से 120.00 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। ईडीएफ निधियां बैंक द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाने क बाद उपलब्ध कराई जाएगी। एनईआरएएमएसी परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
10.	फा. संख्या 27/13/ 2009 - इंफ्रा-II	होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नागालैंड द्वारा संतरे की खेती और प्रसंस्करण यूनिट	मामला बंद कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने विवरण नहीं भेजे थे।
11.	फा. संख्या 27/14/ 2009 - इंफ्रा-II	सुरहो पिगरी मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नागालैंड द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण	ईडीएफ से 78.80 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। ईडीएफ निधियां बैंक द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाने क बाद उपलब्ध कराई जाएगी। एनईआरएएमएसी परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
12.	फा. संख्या 27/15/ 2009 - इंफ्रा-II	ट्राइबल विमेन वेलफेयर सोसायटी, नागालैंड द्वारा अदरक की खेती और प्रसंस्करण यूनिट	राज्य सरकार के विवरणों के अभाव में मामला बंद कर दिया गया।
13.	फा. संख्या 27/17/ 2009 - इंफ्रा-II	चार्न एमपीसीएस लिमिटेड, नागालैंड द्वारा हल्दी की खेती प्रसंस्करण	मामला स्थगित कर दिया गया। यह मामला मसाला बोर्ड के साथ उठाया जाएगा।
14.	फा. संख्या 27/03/ 2009 - इंफ्रा-II	आईजोल, मिजोरम में आर एंड डी केन्द्र-सह-प्रशिक्षण संस्थान-सह-खाद्य/फल प्रसंस्करण यूनिट	मामला स्थगित कर दिया गया। वित्त के अन्य संसाधनों के बारे में मिजोरम की राज्य सरकार द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजे जाने के बाद इस मामले की फाइल पर और आगे जांच की जाएगी।

4.3 नए प्रस्ताव

संदर्भ	परियोजना के विवरण	15.4.2010 का निर्णय
4.3.1 **अरुणाचल प्रदेश** आयुक्त, व्यापार और वाणिज्य, अरुणाचल प्रदेश सरकार का दिनांक 27.7.2009 का पत्र	जोरम सोशियो-कल्चरल एंड लिटरेसी सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा कीवी फल खेती और प्रसंस्करण लाख रुपए परियोजना लागत 200.00 प्रवर्तक का हिस्सा 60.00 ईडीएफ अनुदान 60.00	ईडीएफ के अधीन 60 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। निधियां बैंक द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। एनईआरएएमएसी परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
4.3.2 **मणिपुर**		

1. फा. संख्या 27/21/2009 - इंफ्रा-II	इनटच नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माओ, सेनापति जिला, मणिपुर में स्टीविया निष्कर्षण संयंत्र	प्रौद्योगिकीय आर्थिक मूल्यांकन तथा सिफारिशों के लिए एपीडा इस प्रस्ताव की एक प्रति नीटको को भेजेगा। नीटको से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले की फाइल पर जांच की जाएगी।
4.3.3 **मिजोरम** 1. फा. संख्या 27/20/2009 - इंफ्रा-II	म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आदान-प्रदान के लिए मिजोरम सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव	मंजूर नहीं किया गया। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग के एमडीए/एमएआई प्रभाग को भेज सकती है।
4.3.4 **नागालैंड** 1. फा. संख्या 27/22/2009 - इंफ्रा-II	केजेकेवी क्रोथोफार्मिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सेईयामा गांव, नागालैंड के संबंध में पैशन फल की खेती	मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि ईडीएफ के अधीन मांगा गया कुल अनुदान परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से बढ़कर था। राज्य सरकार संशोधित प्रस्ताव भेज सकती है।
2. फा. संख्या 27/01/2010 - इंफ्रा-II	नागालैंड राज्य में झाड़ू की डंडी बनाने का समेकित विकास (प्रस्तावक तथा कार्यान्वयन संगठनों का नाम और पूरा पता स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है)	मंजूर नहीं किया गया।
3. ओएसडी, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार का दिनांक 16.6.09 का पत्र	नागा फ्रैगरेंस प्राइवेट लिमिटेड, नागालैंड द्वारा विश्व की सबसे तेज मिर्च (नागा किंग मिर्च) की खेती के लिए परियोजना प्रस्ताव	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा जांच करेगा और ईसी, ईडीएफ को सिफारिश भेजेगा।
4.3.5 **सिक्किम** 1. फा. संख्या 27/03/10 - इंफ्रा-II	सिक्किम ज्वेल्स लिमिटेड, सिक्किम (सिक्किम सरकार का एक उद्यम) द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी घड़ी रत्न निर्माता यूनिट	ईडीएफ से 550.17 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। राज्य सरकार द्वारा बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में भूमि और राज्य का हिस्सा प्रदान किए जाने के बाद निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। एनईडीएफआई परियोजना कार्यान्वयन का मानीटरन करेगा।
4.3.6 **एफआईईओ** 1. फा. संख्या 27/19/2009 - इंफ्रा-II	एनईआर से निर्यात के लिए क्षेत्र और अवसरों के संबंध में 5 दो-दिवसीय निर्यात जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन ये कार्यशालाएं अप्रैल-जुलाई, 2010 के दौरान गुवाहाटी, शिलांग, गंगटोक, कोहिमा तथा आइजोल में आयोजित की जाएगी	ईडीएफ के अधीन 16 लाख रुपए का कुल अनुदान मंजूर किया गया। एफआईईओ को संगोष्ठियों में पूर्वोत्तर राज्यों के आवासीय आयुक्तों और साथ ही एनईडीएफआई, एनईआरएएमएसी तथा नीटको को सहयोजित करने का निदेश दिया गया। इटानगर और अगरतला में भी एक-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है।

4.4 **ऐसे मुद्दे जो पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं लेकिन जिनकी तरफ ईसी द्वारा ध्यान/और आगे विचार किए जाने की जरूरत है।**

संदर्भ	परियोजना के विवरण	15.4.2010 का निर्णय
4.4.1 फा. संख्या 27/24/07 - इंफ्रा-II	टोंगपोक मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड द्वारा हाइटेक ग्रीन हाउस तथा नियंत्रित वायुमंडल के अधीन एंथूरियम तथा जेरबेरा कट फ्लावर की खेती	ईसी ने फाइल पर लिए गए निर्णय को मंजूरी प्रदान कर दी। दूसरी किस्त प्रदान किए जाने से संबंधित निर्णय एपीडा से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और सिफारिश प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।
4.4.2 फा. संख्या 27/03/07 - इंफ्रा-II	नागा इंडिजनेस फूड, कोहिमा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से कार्बनिक उत्पादों का निर्यात	मामला स्थगित कर दिया गया। एपीडा प्रस्ताव की जांच कर सकता है और टिप्पणियां भेज सकता है।

4.5 **ईसी द्वारा अभिपुष्टि/कार्योत्तर मंजूरी के लिए मुद्दा/प्रस्ताव**

संदर्भ	परियोजना के विवरण	15.4.2010 का निर्णय
	पर्वतीय विकास संस्थान द्वारा सिक्किम में बड़ी इलायची के प्रसंस्करण और निष्कर्षण यूनिट स्थापित करना।	ईसी ने फाइल पर लिए गए निर्णय की अभिपुष्टि की गई

4.6 **नीतिगत मुद्दे**

4.6.1 **अंतर्देशीय परिवहन सहायता (आईटीए) का विस्तारण**

पिछली ईसी बैठक में अंतर्देशीय परिवहन सहायता (आईटीए) योजना का 31.3.2010 तक विस्तार किया गया था। आईटीए योजना एनईआर से ताजा और प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माल की ढुलाई में होने वाले परिवहन खर्च को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यह योजना 15.7.2002 से लागू हुई थी। योजना एपीडा के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

निर्णय

ईसी ने आईटीए के कार्यान्वयन को 11वीं पंचवर्षीय योजना तक अर्थात 31.3.2012 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी। तथापि, इस योजना की पूर्वोत्तर के किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुनरीक्षा की जा सकती है।

4.7 **ईपीसीएच द्वारा ब्याज की वापसी**

4.7.1 हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए 11 लाख रुपए की निधि का विचलन (फा. संख्या 27/25/2002-इंफ्रा-II)।

4.7.2 पूर्वोत्तर हस्तशिल्पों के आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए परियोजना प्रस्ताव (27/4/06-इंफ्रा-II)। ईपीसीएच ने अव्ययित शेष राशि विभाग को अभ्यर्पित कर दी थी किंतु ब्याज के बिना अभ्यर्पित की थी।

निर्णय

ईपीसीएच को प्रत्येक मामले में अर्जित ब्याज के ब्यौरे वाणिज्य विभाग को भेजने होंगे। ब्याज माफ किए जाने के बारे में ईपीसीएच के अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया। ईपीसीएच ने राशि वापिस करना मंजूर कर लिया।

5. अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हो गई।

अनुलग्नक-1

श्री ए. के. मंगोत्रा, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में उद्योग भवन में 15.4.2010 को दोपहर 12 बजे ईसी, ईडीएफ बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	मंत्रालय/विभाग/संगठन
1.	डॉ. श्याम अग्रवाल, संयुक्त सचिव	वाणिज्य विभाग
2.	श्री अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव	वाणिज्य विभाग
3.	सुश्री जयश्री मुखर्जी, संयुक्त सचिव	पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग मंत्रालय
4.	श्री नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव	गृह मंत्रालय
5.	श्री ए. के. बंबा, निदेशक	वाणिज्य विभाग
6.	श्री अनुराग सक्सेना, निदेशक	वाणिज्य विभाग
7.	श्री एस. के. शर्मा, अवर सचिव (वित्त)	वाणिज्य विभाग
8.	श्री डी. के. वर्मा, अवर सचिव	वाणिज्य विभाग
9.	श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष	एपीडा
10.	श्री प्रवीन गुप्ता, महाप्रबंधक	एपीडा
11.	श्री ओ. नवकिशोर सिंह, सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग	मणिपुर सरकार
12.	श्री अरविंद कुमार, आवासीय आयुक्त	सिक्किम सरकार
13.	श्री पवन अवस्थी, एमडी, सिक्किम ज्वेल्स लिमिटेड	सिक्किम सरकार
14.	श्री डी. के. भल्ला, आवासीय आयुक्त	नागालैंड सरकार
15.	श्री एस. पी. सिंह, आवासीय आयुक्त	मिजोरम सरकार
16.	श्री टोकोंग परटिन, निदेशक, व्यापार और वाणिज्य	अरुणाचल प्रदेश सरकार
17.	श्री निखिल कुमार, संयुक्त सचिव	मिजोरम सरकार
18.	श्री जिले सिंह, परामर्शदाता (योजना)	मेघालय सरकार
19.	श्री आर. के. श्रीवास्तव, उप-निदेशक	हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) "ईपीसीएच हाउस" पाकेट 6 तथा 7, सेक्टर-सी, एलएससी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
20.	श्री मनोज कुमार दास, उप-महाप्रबंधक	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) लिमिटेड, वसुंधरा एन्क्लेव, बी. के. ककाटी रोड, उलुबारी, गुवाहाटी-781007
21.	श्री सतीश कुमार, सहायक प्रबंधक	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), 9 राजबाड़ी पथ, गणेशगुरी, गुवाहाटी-781005, असम
22.	श्री प्रशांत सेठ, उप-निदेशक	फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (एफआईईओ)
23.	श्री एस. बैनर्जी	नीटको, जी. एस. रोड, भंगागड़, गुवाहाटी-781005

अनुलग्नक-2

संशोधित जांच प्रपत्र

1. **परियोजना लक्ष्य तथा स्थान**

1.1 परियोजना अवधि — परियोजना के शुरू और पूरा होने की तारीख
उत्पादों का विपणन शुरू करने की तारीख

1.2 उत्पाद/उत्पादन विवरण

2. **इन्पुट**

2.1 भूमि की जरूरत

भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	सर्वेक्षण संख्या/संपत्ति का विवरण	स्वामित्व

2.2 अन्य इन्पुट

क्रम संख्या	मद	विवरण	स्थानीय स्रोत	राज्य के बाहर के स्रोत
2.2.1	कच्चा माल (लाख रुपए/प्रति वर्ष के मूल्य में)			
2.2.2	मशीनरी तथा उपकरण (लाख रुपए/प्रति वर्ष के मूल्य में)			
2.2.3	कुशल/तकनीकी जनशक्ति की जरूरत (व्यक्तियों की संख्या में)			

3. **उत्पादन (उत्पाद) तथा इसका विपणन**

3.1 उत्पादन विवरण

3.2 लक्षित बाजार

3.3 प्रस्तावित निर्यात संयोजन

4. **वित्तपोषण**

4.1 परियोजना की कुल लागत

4.2 वित्तपोषण के स्रोत

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	**वित्तीय संस्थान**	**राशि**	**प्रतिशत**	**अभ्युक्तियां**
1.	बैंकिंग/वित्तीय संस्थान			

2.	राज्य सरकार/पीएसयू*			
3.	केन्द्रीय सरकार/पीएसयू*			
4.	स्व-वित्तपोषण			
	योग			
5.	ईडीएफ के अधीन प्रस्तावित वित्तपोषण			
	सकल योग			

*एफआई/पीएसयू के मामले में एजेंसी का नाम और पता अभ्युक्ति कालम में निर्दिष्ट करने की कृपा करें।

5. **व्यवहार्यता अंतराल की गणना (सभी राशियां लाख रुपयों में)**

5.1 परियोजना लागत (डीपीआर के अनुसार)

5.1.1 कुल लागत

5.1.2 5.1.1 में से स्थिर पूंजीगत लागत

5.1.3 प्रार्थित आर्थित सहायता

5.1.4 शुद्ध ऋण/स्व-वित्तपोषण (कुल राशि - (5.1.1 - 5.1.3) - रु. लाख)

ऋण घटक

स्व-वित्तपोषित घटक_____

योग_____

5.2 **प्रत्याशित लाभ** (डीपीआर आधारित अनुमान)

5.2.1 वार्षिक सकल आय

5.2.2 वार्षिक शुद्ध आय

5.3 **पूंजीकरण (लाभ पर आधारित)**

5.3.1 व्यवहार्यता गणना के लिए कटौती दर

5.3.2 पूंजी का मौजूदा मूल्य (लाभ पर आधारित) [(5.2.2/5.3.1)*100]

5.4 **व्यवहार्यता अंतराल**

5.4.1 व्यवहार्यता अंतराल (5.1.4-5.3.2)

5.4.2 % में (5.4.1/5.1.1)

व्यवहार्यता अंतराल की गणना करने का एक उदाहरण

5.1 **परियोजना लागत**

5.1.1	कुल लागत	10 लाख रुपए
5.1.2	5.1.1 में से स्थिर पूंजीगत लागत	5 लाख रुपए
5.1.3	सब्सिडी वित्तपोषण	3 लाख रुपए
5.1.4	शुद्ध ऋण/स्व-वित्तपोषण (5.1.1-5.1.3)	7 लाख रुपए

5.1.2 प्रत्याशित लाभ

5.2.1 वार्षिक सकल आय 2 लाख रुपए

5.2.2 वार्षिक शुद्ध आय 1 लाख रुपए

5.3 **पूंजीकरण (लाभ पर आधारित)**

5.3.1 व्यवहार्यता के लिए कटौती दर 20%

5.3.2 पूंजी का मौजूदा मूल्य (लाभ पर आधारित)

$$[(5.2.2/5.3.1)*100] = \frac{1.00 \text{ x } 100}{20} = \text{रुपए 5 लाख}$$

5.4.1 व्यवहार्यता अंतराल (5.1.4 - 5.3.2): रुपए 7.00 - रुपए 5.00 = रुपए 2 लाख

5.4.2 % में (5.4.1/5.1.1): रुपए 2 लाख / रुपए 10 लाख = 20%

अनुलग्नक 3

मानक प्रचालन क्रियाविधि

एसओपी चार्ट

क्रम संख्या	विवरण	परियोजना वित्तपोषण स्रोत		
		वित्तीय संस्थान (एफआई)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार सब्सिडी (ईडीएफ के अलावा)	स्व-वित्तपोषित
1.	प्रौद्योगिकीय आर्थिक व्यवहार्यता	संबंधित एफआई द्वारा	राज्य सरकार/एजेंसी तथा एपीडा	एपीडा द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मूल्यांकन किया जाएगा
2.	ईडीएफ के अधीन निधियों/ सब्सिडी प्रदान करना	एफआई की समय-सूची के अनुसार	"कोई सहवर्ती नहीं" सहित बैक-एंडेड की आवश्यकता	निर्यात आयुक्त, राज्य सरकार के माध्यम से बैक-एंडेड
3.	ईडीएफ वित्तपोषण मात्रा	सभी स्रोतों तथा ईडीएफ से कुल मिलाकर 70% सब्सिडी ऊपरी सीमा के अध्यधीन ईडीएफ से अधिक से अधिक 30%	सभी स्रोतों तथा ईडीएफ से कुल मिलाकर 70% सब्सिडी ऊपरी सीमा के अध्यधीन ईडीएफ से अधिक से अधिक 30%*	ईडीएफ से अधिक से अधिक 30%
4.	भौतिक सत्यापन	प्रवर्तकों द्वारा ऋण की वापसी तक एफआई (एपीडा को नियतकालिक रिपोर्टें)	परियोजना के शुरू होने के बाद दो वर्ष तक राज्य सरकार	परियोजना के शुरू होने के बाद दो वर्ष तक एपीडा/डीजीएफटी/ वाणिज्य विभाग

*यदि परियोजना केन्द्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा कार्यान्वित की जाती है तो ईडीएफ सब्सिडी की ऊपरी सीमा 50% तक हो सकती है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(1) यदि ईडीएफ वित्तपोषण की राशिः

(क) 50 लाख रुपए से कम है तो वह दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।

दूसरी किस्त केवल मध्यावधिक प्रगति के बाद भौतिक सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट के बाद प्रदान की जाएगी।

(ख) 50 लाख रुपए से अधिक है तो वह तीन अथवा इससे अधिक किस्तों में प्रदान की जाएगी।

(प्रत्येक किस्त प्रायः 25 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए)

(ग) संस्थानगत वित्तपोषण संयोजन के मामले में मशीनें और उपकरण खरीदते समय राशि एकमुश्त प्रदान की जा सकती है।

(2) सहवर्ती ऋणाधारः

एफआई से ऋण के मामले में किसी ऋणाधार की जरूरत नहीं होगी तथा एफआई द्वारा प्रभारित अग्रिम गारंटी के लिए प्रीमियम ईडीएफ द्वारा 30% की समग्र सीमा के भीतर वहन किया जाएगा। स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (एसआईडीबीआई) अग्रिम गारंटी फीस तथा वार्षिक सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसी) को सहवर्ती निःशुल्क ऋण के नाम से एक योजना चला रहा है (अनुलग्नक 3ए पर संलग्न विवरण के अनुसार)।

(3) **मशीनरी और उपकरणों की खरीद**

यदि संयंत्र और मशीनरी (पी तथा एम) की लागत ईडीएफ के अधीन प्रस्तावित वित्तपोषण से कम अथवा उसके समतुल्य है तो ईडीएफ निधियों का प्रयोग पी तथा एम की खरीद के भुगतान के लिए किया जाएगा और आपूर्तिकर्ता से बीजक तथा वास्तविक सुपुर्दगी प्राप्त होने के पश्चात लाभग्राही को निधियां प्रदान की जाएंगी।

अनुलग्नक 3ए

एमएसई के लिए सहवर्ती निःशुल्क ऋण गारंटी स्कीम

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के क्षेत्र में उद्यमकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने में समस्याएं पेश आती हैं क्योंकि वे सहवर्ती ऋणाधार/तृतीय पक्ष गारंटी उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या को दूर करने और इसके साथ-साथ देश में एमएसई के लिए संवर्द्धित ऋण प्रवाह को सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार और एसआईडीबीआई द्वारा अगस्त, 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई थी जिससे कि इस क्षेत्र को सहवर्ती ऋणाधार से मुक्त ऋण प्राप्त हो सके। सीजीटीएमएसई अपने सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से एमएसई (विनिर्माण और सेवा--दोनों क्षेत्रों में) एक करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी उपलब्ध कराता है।

ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस) के अधीन सीजीटीएमएसई एमएलआई द्वारा एमएसई में एकल पात्र उधार लेने वाले को सावधि ऋण तथा/अथवा कार्यकारी पूंजी सुविधाओं के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को (निधि-आधारित तथा/अथवा गैर-निधि आधारित) निम्न ऋण सुविधा के लिए कवर करेगाः

(i) 50 लाख रुपए तक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वित्तीय संस्थान) तथा

(ii) 1 करोड़ रुपए तक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थान)

ऋणदाता को किसी सहवर्ती ऋणाधार तथा/अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। इस योजना के अधीन गारंटीयुक्त ऋण सुविधा के मामले में गारंटीयुक्त अंश के लिए एमएलआई के संबंध में शून्य प्रतिशत जोखिम भारिता/प्रावधान रहता है।

गारंटी कवर की लागत

ऋण सुविधा	अग्रिम गारंटी फीस पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) (%)	वार्षिक सेवा फीस (%)
5 लाख रुपए तक	0.75	0.50
5 लाख रुपए से ऊपर 50 लाख रुपए तक	0.75	9.75
50 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक	1.50	0.75

गारंटी की सीमाः ट्रस्ट निम्नानुसार गारंटी उपलब्ध कराएगाः

श्रेणी	गारंटी की अधिकतम मात्रा जबकि ऋण सुविधा निम्नानुसार है		
	5 लाख रुपए तक	5 लाख रुपए से ऊपर 50 लाख रुपए तक	50 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक
सूक्ष्म उद्यम	न चुकाई गई रकम का 85% किंतु अधिक से अधिक 25 लाख रुपए	न चुकाई गई रकम का 75% किंतु अधिक से अधिक 37.50 लाख रुपए	50 लाख रुपए से ऊपर की न चुकाई गई रकम के मामले में राशि का 50% तथा 37.50 लाख रुपए किंतु 62.50 लाख रुपए की समग्र ऊपरी सीमा के अध्यधीन

पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में स्थित महिला उद्यमकर्ता/ इकाइयां (सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा से इतर)	न चुकाई गई रकम का 80% किंतु अधिक से अधिक 40 लाख रुपए	50 लाख रुपए से ऊपर की न चुकाई गई रकम के मामले में राशि का 50% तथा 40 लाख रुपए किंतु 65 लाख रुपए की समग्र ऊपरी सीमा के अध्यधीन
उधार लेने वालों की सभी अन्य श्रेणियां	न चुकाई गई रकम का 75% किंतु अधिक से अधिक 37.50 लाख रुपए	50 लाख रुपए से ऊपर की न चुकाई गई रकम के मामले में राशि का 50% तथा 37.50 लाख रुपए किंतु 62.50 लाख रुपए की समग्र ऊपरी सीमा के अध्यधीन

गारंटी कवर का लाभ उठाना

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में उद्यमकर्ता सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में पंजीकृत किसी भी सदस्य ऋणदाता संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक तथा चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)/एफआई-सभी सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में पंजीकृत हैं।

प्रस्ताव

यह देखा गया है कि ईडीएफ के अधीन सहायता मांगने वाले प्रार्थियों में से अधिकांश एमएसई क्षेत्र के अधीन होते हैं और वे एसआईडीबीआई की ऋण गारंटी योजना का लाभ उठाने के पात्र हो सकते हैं।

यह सुझाव है कि निर्यात संबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से एमएसई क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं के लिए अग्रिम गारंटी फीस की किस्त के लिए ईडीएफ योजना से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वित्तीय संस्थानों से ऋण सहित ईडीएफ अनुदान मांगने वाले प्रवर्तक वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में सीजीएस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हें।

अग्रिम गारंटी के लिए देय किस्त के लिए ईडीएफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। तथापि, ऐसी आर्थिक सहायता ईडीएफ के अधीन अनुदान के 30% की समग्र ऊपरी सीमा के अध्यधीन होगी।

सीजीटीएमएसई* के सदस्य ऋणदाता संस्थान

सरकारी क्षेत्र के बैंक

*इलाहाबाद बैंक
*आंध्रा बैंक
*बैंक आफ बड़ौदा
*बैंक आफ महाराष्ट्र
*बैंक आफ इंडिया
*सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
*कनारा बैंक
*कार्पोरेशन बैंक
*देना बैंक
*आईडीबीआई बैंक
*इंडियन ओवरसीज बैंक
*ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
*पंजाब नेशनल बैंक
*पंजाब एंड सिंध
*सिंडीकेट बैंक
*यूनाईटेड बैंक आफ इंडया
*यूको बैंक
*यूनियन बैंक आफ इंडिया
*विजया बैंक

*इंडियन बैंक

भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंक

*स्टेट बैंक आफ इंडिया

*स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

*स्टेट बैंक आफ मैसूर

*स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

*स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

*स्टेट बैंक आफ इंदौर

*स्टेट बैंक आफ पटियाला

निजी क्षेत्र के बैंक

*एक्सिज बैंक

*सिटी यूनियन बैंक

*एचडीएफसी बैंक

*आईएनजी वैश्य बैंक

*आईसीआईसीआई बैंक

*इंडस्ट्रियल बैंक

*कोटेक महिंद्रा बैंक

*कर्नाटक बैंक

*दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक

*दि साउथ इंडियन बैंक

*दि फेडरल बैंक

*दि धनलक्ष्मी बैंक

*दि नैनीताल बैंक

*दि बैंक आफ राजस्थान

*तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक

*यस बैंक

विदेशी बैंक

*ड्यूश बैंक

* स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

चुनिंदा आरआरबी

अन्य ऋणदाता संस्थान

*दिल्ली फाइनेंशियल कार्पोरेशन

*नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

*नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

*स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया

*दि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

*केरल फाइनेंशियल कार्पोरेशन

पंजीकृत कार्यालय

एमएसएमई डेवलपमेंट सेंटर, 7वां तल, सी-11/जी-ब्लाक

बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

टेलीफोनः 022-652909774, फैक्सः 022-25541821

वेबसाइट: www.cgtmse.in